

कार्यवृत्त

अनुदान समिति की बैठक

2017-2018

राज्य/संघ शासित क्षेत्र अभिलेखीय भंडार, सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालय को वित्तीय सहायता की योजना

7 सितम्बर 2017

राष्ट्रीय अभिलेखागार
जनपथ, नई दिल्ली -110001

राष्ट्रीय अभिलेखागार

राज्य/संघ शासित क्षेत्र अभिलेखीय संग्रह, सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालय को वित्तीय सहायता की योजना, 2017-2018

दिनांक 7 सितम्बर 2017 को आयोजित अनुदान समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपर्युक्त योजना के लिए अनुदान समिति की बैठक को श्री. राघवेन्द्र सिंह, महानिदेशक, अभिलेखागार राष्ट्रीय अभिलेखागार, संस्कृति मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में 7 सितम्बर 2017 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित किया गया था।

निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे:

1. श्री. राघवेन्द्र सिंह अध्यक्ष
महानिदेशक, अभिलेखागार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली
2. डॉ. शामा मित्रा चैनोय सदस्य
सहयोगी प्राध्यापक, इतिहास विभाग
शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
नई दिल्ली
3. डॉ आनंद बर्धन सदस्य
सहयोगी प्राध्यापक,
दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट
नई दिल्ली -110067
4. सुश्री ज्योत्सना अरोड़ा सदस्य
उप निदेशक (पुस्तकालय), आईसीएचआर
नई दिल्ली-110001
5. डॉ अरुण कुमार श्रीवास्तव सदस्य
सहायक निदेशक, अभिलेखागार (सेवानिवृत्त)
उत्तर प्रदेश

6. डॉ. सिमोंटी सेन
निदेशक, पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार
कोलकाता-700003 (पश्चिम बंगाल) सदस्य

7. डॉ. एम.ए. हक
उप निदेशक, अभिलेखागार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली सदस्य सचिव

इस बैठक में डॉ. (श्रीमती) रितु राजीव, सहायक निदेशक, अभिलेखागार (अनुदान), राष्ट्रीय अभिलेखागार भी उपस्थित थीं।

अनुदान कमेटी के निम्नलिखित सदस्य बैठक में शामिल नहीं हो सके:

1. सुश्री दीपिका पोखर्ना
निदेशक (एएंडए)
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली सदस्य
- 2 श्री प्रतापानंद झा
निदेशक
सांस्कृतिक सूचना विज्ञान
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र कला
नई दिल्ली-110001 सदस्य
3. श्री प्रेम कुमार नागता
निदेशक (संग्रह और प्रशासन)
राष्ट्रीय संग्रहालय
नई दिल्ली-110001 सदस्य
4. श्री पी. बिजू
निदेशक, केरल राज्य अभिलेखागार
केरल सदस्य
5. श्री सुशील गजरे
निदेशक, अभिलेखागार विभाग
मुंबई, महाराष्ट्र सदस्य
6. श्रीमती शशि ठाकुर
निदेशक, भाषा और सांस्कृतिक विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश सदस्य
7. श्री विवो सपुई
निदेशक, कला और संस्कृति
नागालैंड राज्य अभिलेखागार
नागालैंड सरकार
नागालैंड सदस्य

श्री. राघवेन्द्र सिंह, महानिदेशक, और अध्यक्ष, अनुदान समिति ने अनुदान समिति के सदस्यों का स्वागत किया था। सदस्य सचिव ने योजना के मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष (2017-2018) के दौरान वितरण के लिए उपलब्ध धनराशि की सूचना दी थी।

राज्य अभिलेखीय संग्रह और सरकारी पुस्तकालयों से प्राप्त कुल 14 प्रस्तावों को विचार के लिए लिया गया था।

भाग-I

1. मेघालय राज्य अभिलेखागार और पंजाब राज्य अभिलेखागार के केवल 2 प्रस्ताव सभी मामलों में पूर्ण थे। मेघालय राज्य अभिलेखागार का एक प्रस्ताव 5,53,218/- रुपये (केंद्रीय हिस्सा) की राशि के लिए मंजूरी दे दी गई थी। जबकि पीएसए की यात्रा के संदर्भ में एडीए (अनुदान) के निरीक्षण रिपोर्ट नतीजे के अधीन पंजाब राज्य अभिलेखागार के अन्य प्रस्ताव 37,50,000/- रु. (केंद्रीय शेयर) को भी मंजूरी दे दी गई थी। और एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत रिपोर्ट अनुदान की मंजूरी के लिए सकारात्मक पाया जाता है।
2. 2 राज्य सरकार संस्थानों में कुल अनुमोदित अनुदान राशि 57,53,625 / - (सत्तावन लाख तिरुपन हजार छह सौ पच्चीस रुपये केवल) रुपये हैं, जिसमें अनुदानदाता राज्य सरकार 14,34,407 / - रुपये की 25% मिलान हिस्सेदारी (चौदह लाख चौतीस हजार चार सौ सात रुपये केवल) है और केंद्र सरकार का 43,03,218 / - (तिरालीस लाख तीन हजार दो सौ अठारह रुपये केवल) रुपये का 75% हिस्सा है।
(विवरण के लिए, कृपया अनुलग्नक- I)

भाग-II

अनुदान समिति ने चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2017-18 के भीतर शर्तों (जैसे लंबित उपयोग प्रमाण पत्र जमा करना /25% मिलान शेयर के राज्य सरकार आश्वासन /राज्य सरकार /एसएलएससी सिफारिशें) को पूरा करने के लिए 7 अन्य राज्य सरकार के प्रस्तावों को सिद्धांत रूप से मंजूरी को भी बढ़ाया है। धन की उपलब्धता के अधीन पहले आनेवाले को पहले आधार पर अनुदान राशि जारी की जाएगी।

(संस्थानों की सूची अनुलग्नक -2 में है)

बजट

वर्ष 2017-2018 के लिए, इस योजना के तहत प्रमुख शीर्षक 2205 के तहत राज्यों के लिए बीई (योजना) के तहत 1,00,00,000 / - रुपए आवंटित किया गया था।

सहायता अनुदान सामान्य (राज्य)	95,00,000/- रुपए
सहायता अनुदान सामान्य(संघ शासित क्षेत्र)	5,00,000/- रुपए
कुल (उपलब्ध शेष राशि)	1,00,00,000/- रुपए

(चूंकि किसी भी यूटी प्रशासन से कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है, इसलिए मौजूदा वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए कुल वितरण राशि केवल 95,00,000 / - है)

समिति ने एजेंडा के भाग-॥ में उल्लिखित राज्य/संघ शासित क्षेत्र संस्थानों द्वारा प्राप्त अनुदान के लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों पर चिंता व्यक्त की और वांछित है कि राज्य सरकार के संस्थानों को अपने लंबित उपयोग प्रमाण पत्र के मामलों को व्यवस्थित करना चाहिए।

अध्यक्ष को धन्यवाद जापान के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।

डॉ. एम.ए. हक
उप निदेशक,
राष्ट्रीय अभिलेखागार
और सदस्य सचिव, अनुदान समिति

श्री. राघवेन्द्र सिंह
महानिदेशक,
राष्ट्रीय अभिलेखागार/
और अध्यक्ष, अनुदान समिति

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 25 सितम्बर, 2017

अनुलग्नक-1

राज्य अभिलेखीय भंडारों का नाम जिनके लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की गई है।

(अनुदान समिति की बैठक, 2017-2018)

क्र.सं.	राज्य सरकार के संगठनों का नाम	उद्देश्य	राशि			टिप्पणियाँ
			अनुशंसित परियोजना लागत	केंद्र सरकार के रूप में अनुमोदित 75% हिस्सा	राज्य सरकार का 25% हिस्सा	
1	2	3	4	5	6	7
1.	मेघालय मेघालय राज्य अभिलेखागार, शिलांग फा.सं. 31-2 (5)/2017-अनुदान	1. कॉनन डीआरएम 1060 कॉम्पैक्ट ए 3 स्कैनर, हाई स्पीड डुप्लेक्स, एडीएफ स्कैन 60 पीपीएम तक सहित डेस्क टॉप शीट फेड टाइप - मोनोक्रोम/ ग्रेस्केल/कलर = 2 नग @ रु. 1,57,500/- ×2= 3,15,000 रुपये 2. ए 3 फ्लैट बेड स्कैनर यूनिट के लिए सहायक उपकरण- एफएसयू-201 = 2 नंबर @ रुपये 81,650/-×2 = रुपये 1,63,300/ 3. एचपी डेस्कटॉप कंप्यूटर कोर i7 6700 T/8 जीबी रैम/2 स्लॉट/2 टीबी एचडीडी/विंडोज 10/डीवीडी/डब्लूएलएएन / जीबी ग्राफिक/वायरलेस कीबोर्ड और माउस/एचपी 20 केडी 19.45 मॉनिटर 3	7,37,625/- रुपए	5,53,218/- रुपए	1,84,407/- रुपए	

क्र.सं.	राज्य सरकार के संगठनों का नाम	उद्देश्य	राशि			टिप्पणियाँ
		<p>साल की वारंटी के साथ = 2 नग @ रु. 94,600/-\times2= 1,89,200/- रु.</p> <p>4. यूपीएस 2 नग,रु.3000/-\times2 = 6000 रुपये</p> <p>5. कंप्यूटर टेबल = 2 नग @ रु. 8500\times2= 17,000/- रुपये</p> <p>6. कंप्यूटर चेयर = 2 नग @ रु. 6000\times2 =रु. 12,000/- = रु.7,02,500 - वैट@5% रु.35125/-</p> <p>कुल: रु.7,37,625/-</p>				
2.	<p>पंजाब पंजाब राज्य अभिलेखागार, चंडीगढ़ फा.सं. 31-2 (1)/2017- अनुदान</p>	<p>1. 3000 दुर्लभ किताबों का डिजिटलीकरण 3000 किताबें\times 200पेजेस\times 2.66/-रु.= Rs.15,96,000/- रु.</p> <p>2. गृह विभाग/स्थानीय स्वयं सरकार के पंजाब सिविल सचिवालय रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन 12,79,666 पेज @ 2.66/- रु. = 34,04,000/- रु.</p> <p>कुल: 50,00,000/- रु.</p>	50,00,000/- रुपए	37,50,000/- रुपए	12,50,000/- रुपए	<p>अनुमोदन एडीए (अनुदान) की निरीक्षण रिपोर्ट के परिणाम के अधीन था जो राशि को मंजूरी देने के लिए सकारात्मक पाया गया है।</p>
		कुल	57,37,625/- रुपए	43,03,218/- रुपए	14,34,407/- रुपए	

अनुलग्नक-II

उन संस्थानों की सूची जिनके लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की गई है, सशर्त रूप से निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है: -

क्र.सं.	संस्था का नाम	सशर्त रूप से अनुशंसित कुल परियोजना लागत	टिप्पणियाँ
1.	गुजरात गुजरात राज्य अभिलेखागार, गांधीनगर। फा.सं. 31-2 (3)/2017-अनुदान	14,00,000/- रुपए	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के अधीन, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 25% राज्य सरकार आश्वासन और राज्य सरकार की सिफारिश
2.	जम्मू और कश्मीर सर प्रताप सिंह संग्रहालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर फा.सं. 31-2 (11)/2017-अनुदान	12,50,000/-रुपए	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के अधीन, और चालू वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 25% राज्य सरकार आश्वासन
3.	डोगरा आर्ट संग्रहालय, जम्मू, जम्मू और कश्मीर फा.सं. 31-2 (12)/2017-अनुदान	5,00,000/- रुपए	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के अधीन, और चालू वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 25% राज्य सरकार आश्वासन
4.	राज्य अभिलेखागार भंडार, जम्मू, जम्मू और कश्मीर फा.सं. 31-2 (13)/2017-अनुदान	40,00,000/- रुपए	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के अधीन, और चालू वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 25% राज्य सरकार आश्वासन

क्र.सं.	संस्था का नाम	सशर्त रूप से अनुशंसित कुल परियोजना लागत	टिप्पणियाँ
5.	राज्य अभिलेखागार भंडार, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर फा.सं. 31-2 (14)/2017-अनुदान	12,50,000/- रुपए	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के अधीन, और चालू वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 25% राज्य सरकार आश्वासन
6.	सिक्किम सिक्किम राज्य अभिलेखागार, गैंगटोक फा.सं. 31-2 (6)/2017-अनुदान	12,50,000/- रुपए	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 25% राज्य सरकार आश्वासन प्राप्ति के अधीन
7.	पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार भंडार, कोलकाता फा.सं. 31-2 (7)/2017-अनुदान	50,00,000/- रुपए	इस चालू वित्तीय वर्ष में लंबित उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति के अधीन